भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1404
उत्तर देने की तारीख 09.02.2026

पारंपरिक कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएँ

1404. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कलाकारों के लिए कोई वित्तीय सहायता/योजनाएँ लागू की हैं, यदि हाँ, तो महाराष्ट्र राज्य में तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कला और संस्कृति से संबंधित स्टार्टअप्स तथा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पारंपरिक कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें संचालित की जाती है, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कलाओं सहित विभिन्न प्रकार की मंच कलाओं में अभ्यासरत संगठनों/ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संगठनों/कलाकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में जिला-वार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वित्तीय

वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के सहायता प्राप्त संगठनों/कलाकारों की संख्या और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ख): कला एवं संस्कृति से संबंधित स्टार्टअप और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय स्कीम संचालित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ): वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय 'वैश्विक भागीदारी स्कीम' नामक स्कीम कार्यान्वित करता है जिससे विश्व स्तर पर सतत रूप से भारत की छवि को संवर्धित किया जा सके। वर्तमान में, 627 कलाकार/समूह मंत्रालय के पैनल में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व स्तर पर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत-विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों को सहायता अनुदान जारी किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

'पारंपरिक कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएँ' के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह है और शिष्य के लिए कलाकार की आयु के आधार पर यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, भारत में पंजीकृत हो, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों; जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपए तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य नाटक-रंगमंच, संगीत सृजन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि 5 लाख रुपए है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में लगे बौद्ध मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को प्रति वर्ष 30.00 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना संबंधी निर्माण (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों, लाभ न कमाने वाले ख्यातिप्राप्त संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्धन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह और 20,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 अध्येतावृत्तियां तक (80,000/-रुपए प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 छात्रवृत्तियां तक (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 72,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाती है।

6. वैश्विक भागीदारी स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय कला रूपों में अभ्यासरत कलाकारों को 'भारत महोत्सव' के बैनर के अंतर्गत विदेशों में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच और कठपुतली कला, शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य, प्रायोगिक/समकालीन नृत्य, शास्त्रीय/अर्धशास्त्रीय संगीत, रंगमंच आदि सहित कला रूपों जैसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों के कलाकार विदेशों में 'भारत महोत्सव' में प्रस्तुतीकरण देते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, "भारत महोत्सव" में प्रस्तुति देने के लिए कलाकार की तैनाती पर होने वाले व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने विदेश में आयोजित होने वाले भारत महोत्सवों (एफओआई) में प्रस्तुति देने के लिए विभिन्न कला रूपों के अंतर्गत कलाकारों/समूहों को पैनलबद्ध किया है और कलाकारों का चयन इस पैनल से किया जाता है।

अनुलग्नक-II

'पारंपरिक कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएँ' के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र राज्य में लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष					
		2022-23		2023-24*		2024-25*	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	41	307.6	97	639.72	59	333.05
2.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0.00	1	15.00	1	18.75
3.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	56	104.1	34	29.64	44	97.31
4.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता	11	38.25	14	41.00	14	57.45
5.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	0	0	2	8	2	25
6.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	84	118.80	85	84.00	52	78.60
7.	संस्कृति के क्षेत्र में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम	40	12.00	127	38.10	81	24.30
8.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	740	273.49	1239	795.97	1392	541.19
9.	वैश्विक भागीदारी स्कीम	वर्तमान में, मंत्रालय के साथ पैनलबद्ध 37 कलाकार/समूह महाराष्ट्र राज्य से हैं, जिनमें से 7 कलाकारों/समूहों को भारत महोत्सव (एफओआई) में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया है अर्थात ओमान, नीदरलैंड, घाना (2016-17), कतर (2018-19), दक्षिण अफ्रीका (2019-					

		20) में एक-एक और वेनेजुएला तथा वियतनाम (2017-18) में आयोजित फ्रीडम 70 कार्यक्रमों में एक-एक।

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में इस स्कीम के अंतर्गत, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता का भुगतान केन्द्रीय नोडल अभिकरण मॉड्यूल के माध्यम से किया गया।

*****